

यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर  
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.



न्याय निर्णयन आवेदन सं० 16/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा)  
एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

परिवादी

बनाम



अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता) : श्री जयपाल पुत्र रामदेव निवासी मैन बाजार  
पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर फर्म : मै. हनुमान किरयाना स्टोर, मैन बाजार पदमपुर,  
तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त


अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा  
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 07.11.2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 28.10.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये है।

श्री प्रदीप कुमार राजपूत(सेवानवृत्त) , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.04.2016 को सुबह 2.00 पी.एम. पर फर्म मै. हनुमान प्रोविजन स्टोर, मैन बाजार पदमपुर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के पास पहुंचा वहां पर उपस्थित व्यक्तियों को अपना परिचय दिया एवं उसका परिचय लिया। वह व्यक्ति श्री जयपाल पुत्र रामदेव फर्म मै. हनुमान किरयाना स्टोर , मैन बाजार, पदमपुर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर खाद्य पदार्थ घी (उजाला) बेचता हुआ पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ घी (उजाला) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान में गते के कार्टून में घी (उजाला ब्राण्ड) के 20 पैकड पैकेट प्रत्येक 500 एम.एल. बिक्री हेतु रखे थे, में से 4 पैकेट प्रत्येक 500 एम.एल. नमूना जांच हेतु खरीदे, जिनकी कीमत 680/- अदा की एवं खरीद रसीद तैयार की, फार्म सख्या 5 ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों का चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य

  
अति.जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

करोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं स्वयं (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीदशुदा मावा बर्फी को चार नमूना बोतलों को बराबर-बराबर भरा, चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलों को एयरटाइट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-707 को नियमानुसार ऊपर से नीचे गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसमें खाद्य कारोबारकर्ता श्री जयपाल ने पढकर, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की ओर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/1099/एक्ट/2016/1955 दिनांक 24.05.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-707 घी (उजाला ब्राण्ड) अमानक स्तर (Mis Branded) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में जयपाल पुत्र रामदेव फर्म मै. हनुमान किरयाना स्टोर, मैन बाजार, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर घी (उजाला) का विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 27.09.2017 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस घी (सांवरिया) का नमूना जांच हेतु लिया गया था, प्रार्थी फर्म हनुमान किरयाना स्टोर पदमपुर की दुकान से गत्ते के कार्टून में घी (उजाला ब्राण्ड) के 20 पैकेट मौजूद थे। प्रार्थी फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी फर्म बतौर विक्रेता की हैसियत से खाद्य विक्रय का कार्य करती है। प्रार्थी फर्म किसी भी प्रकार से घी का निर्माण एवं उत्पादन नहीं करती है। मैं भविष्य इस प्रकार के Mis Branded घी का विक्रय नहीं करूंगा। अभियुक्त ने गलती को स्वीकार किया है। अभियुक्त ने निवेदन किया है कि लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण समाप्त किया जावे।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया घी (सांवरिया) सैम्पल के-707 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1099/एक्ट/2016/1955 दिनांक 24.05.2016 द्वारा मिश ब्रांडेड होना पाया गया है। घी (उजाला) में अपमिश्रण नहीं है और न मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एम0एस0एन0एफ0 में थोड़ा अन्तर है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 3(1)(zf)(C)(i) स्टैण्डर्ड एक्ट 2006 उल्लंघन का अपराध साबित होता है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराया जाकर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी फर्म हनुमान किरयाना स्टोर पदमपुर की दुकान से गत्ते के कार्टून में घी (उजाला ब्राण्ड) के 20 पैकेट मौजूद थे। प्रार्थी फर्म द्वारा किसी भी प्रकार का कोई

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर

उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रार्थी फर्म बतौर विक्रेता की हैसियत से खाद्य विक्रय का कार्य करती है। प्रार्थी फर्म किसी भी प्रकार से घी का निर्माण एवं उत्पादन नहीं करती है। मैं भविष्य इस प्रकार के Mis Branded घी का विक्रय नहीं करूंगा। अभियुक्त ने गलती को स्वीकार किया है। अतः लोक अदालत की भावना से कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निर्णय किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1099/एक्ट/2016/1955 दिनांक 24.05.2016 के बिन्दु संख्या 02 घी (उजाला) not fat is 42-1% (Method Name : Manual Method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi) जबकि घी (उजाला) solids not fat की Minimum value 40-0% होनी चाहिए थी। इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of घी (उजाला) bearing Code No. and Sr. No. K-707 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganaganagar is Substandard Food under section 3(1)(zx) of FSS Act. 2006. जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री जयपाल पुत्र रामदेव फर्म : मै. हनुमान किरयाना स्टोर, मैन बाजार, पदमपुर, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 3(1)(zf)(C)(i) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री जयपाल पुत्र रामदेव को under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety and Standard Act 2006 के अन्तर्गत राशि रुपये 3,000-00 (अखरे रुपये तीन हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में बिक्री हेतु जो घी (उजाला) विक्रय किया जाता है, उस उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



(नखतदान बारहठ)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासक)  
श्रीगंगानगर